प्रेषक,

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,
लखनऊ

पत्रांक 901 /वाहन/निविदा/2018–19 दिनांकः– 19.07.2018

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक 500/वाहन/निविदा/2018–19 दिनांक 02.06.2018 एवं पत्रांक 625/वाहन/निविदा/2018–19 दिनांक 22.06.2018 एवं पत्रांक 732 /वाहन/निविदा/ 2018–19 दिनांकः– 04.07.2018 द्वारा लखनऊ जनपद के लिये वित्तीय वर्ष 2018–19 में बहुददेशीय सचल पशु चिकित्सा सेवाएं (राज्य योजना) के अन्तर्गत आउट सोर्सिंग के माध्यम से सेवा प्रदाता फर्मों से दिनांक 11.07.2018 तक अल्प कालीन निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें निविदायें प्राप्त न होने के कारण पुनः अति अल्प कालीन निविदा का प्रकाशन कराये जाने के लिए विज्ञप्ति तथा निविदा की शर्तें आदि जिसकी सी0डी0 संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि उक्त को अपलोड करने का कष्ट करें।

संलनकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 तेज सिंह यादव)
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ

कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, लखनऊ

पत्रांक 901/वाहन/निविदा/2018–19 दिनांक 19.07. 2018

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद के पशुपालकों को पशुचिकित्सा उनके समीप में उपलब्ध कराने प्रभावी रोग नियन्त्रण एवं किसी संक्रामक/महामारी रोग के फैलने की स्थिति में तत्काल रोकथाम, पशुओं में शतप्रतिशत बांझपन शिविरों के आयोजन, टीकाकरण, मेडिकोलीगल केसेज, कृत्रिम गर्भाधान के सापेक्ष फालो अप के साथ साथ कामधेनु योजना एवं कुक्कुट विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों को समस्त सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें योजना प्रारम्भ की गई हैं।

बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवाओं के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में छः विकास खण्ड स्तर पर बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा इकाईयों के वाहनों को वर्ष 2018–19 में परिचालन के लिए आउट सोर्सिंग के माध्यम से चालकों की व्यवस्था एवं उनके पारिश्रमिक दरों के निर्धारण हेतु सर्विस प्रदाता फर्मों/ एजेन्सियों से निविदा दिनांक 27.07.2018 अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं जो उसी दिन समिति के सम्मुख सायंकाल 5:00 बजे खोली जायेगी। निविदा सम्बन्धी प्रकिया एवं शर्ते अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में वाहन प्रभारी मुख्यालय अवलोकित तथा प्राप्त की जा सकती है, निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 500.00 निर्धारित है। निविदा प्रपत्र मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ की वेबसाइट http://lucknow.nic.in पर डाउनलोड किये जा सकते हैं।

निविदा कार्यालय मे ंकिसी भी कार्य दिवस में दिनांक 27.07.2018 को 2:00 बजे तक उसके बाक्स में डाली जायेगी। निजी डाक/कोरियर/पंजीकृत आदि से भेजी गई निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा। समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त कर सकती है।

(डा0 तेज सिंह यादव)
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, लखनऊ

निविदा–सारणी

1	निविदा बिक्री करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 27.07.2018 अपरान्ह 12:00 बजे तक
2	निविदाजमाकरने की अन्तिमतिथि	दिनांक 27.07.2018 अपरान्ह 2:00 बजे तक
3	निविदा के खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 27.07.2018 सायं 5:00 बजे
4	निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, लखनऊ
5	पत्राचार का पता	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, लखनऊ

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

बहुददेशीय सचल पशु चिकित्सा सेवाएं योजनान्तर्गत वाहन चालकों की व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र

पशुपालकों को पशु चिकित्सा सुविधा उनके समीप में उपलब्ध कराने प्रभावी रोग नियन्त्रण एवं संक्रामक–महामारी रोग को फैलने की स्थिति में तत्काल रोकथाम पशुओं में शत प्रतिशत बांझपन शिविरों के आयोजन, टीकाकरण, मेडिको लीगल केसेज, कृत्रिम गर्भाधान के सापेक्ष फालो अप के साथ साथ कामधेनु योजना एवं कुक्कुट विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों को समस्त विभागीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में बहुददेशीय सचल पशु चिकित्सा सेवाएं योजना प्रारम्भ की गई है। बहुददेशीय सचल पशु चिकित्सा सेवाएं योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ में विकास खण्ड स्तर पर बहुददेशीय सचल पशु चिकित्सा इकाइयों के वाहनों को वर्ष 2018–19 में परिचालन के लिये आउट सोर्सिंग के माध्यम से चालकों की व्यवस्था एवं उनके पारिश्रमिक दरों के निर्धारण हेतु सर्विस प्रदाता फर्मो–एजेन्सियों से निविदा आमंत्रित की गई है।

2–निविदा प्रक्रिया

1. निविदा प्रपत्र मुख्य विकास अधिकारी जनपद लखनऊ की वेब साइट http://lucknow.nic.inसे भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।
2. निविदा प्रपत्र दो भागों में निर्धारित प्रारूपों क्रमशः (अ)तकनीकी बिड एवं (ब)वित्तीय बिड पर आधारित होगी। दोनो बिड अलग अलग मोहर बंद लिफाफे में निविदा के साथ जमा करना होगा। साथ ही इन निविदाओं के लिफाफे पर क्रमशः ''तकनीकी निविदा'' एवं ''वित्तीय निविदा'' अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। इन दोनो निविदा प्रपत्रों को बड़े लिफाफे जिस पर ''बहुददेशीय सचल पशु चिकित्सा सेवाएं योजनान्तर्गत वाहन चालकों की व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र'' अंकित हो, मे रखकर निर्धारित तिथि एवं समय पर जमा करना अनिवार्य होगा।

   तकनीकी निविदा के लिफाफे में निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने की रसीद एवं डाउनलोड किये जाने की दशा में निविदा प्रपत्र के मूल्य के रूप में रू0 500.00(रू0 पांच सौ मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट तथा अर्नेस्ट मनी के रूप में रू0 25000.00 (रू0 पच्चीस हजार मात्र)का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जनपद लखनऊ के पक्ष में एवं जनपद लखनऊ में देय हो संलग्न करना अनिवार्य है।
3. असफल निविदा दाताओं को अर्नेस्ट मनी की धनराशि तीन माह के भीतर/निविदा पर अंतिम निर्णय होने के उपरान्त बिना ब्याज के वापस कर दी जायगी। सफल निविदा दाता की अर्नेस्ट मनी की धनराशि सिक्योरिटी डिपाजिट के अंश के रूप में समायोजित की जायेगी।

4. निविदा दाता द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव निविदा प्राप्त करने की तिथि से 31 मार्च 2019 तक मान्य होगा।
5. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के प्रारूप निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न हैं। तकनीकी निविदा(भाग–1)में उल्लिखित समस्त प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न की जायें। फर्म के अधिकृत अधिकारी द्वारा समस्त प्रपत्र सुचारू रूप से मोहर सहित हस्ताक्षरित होने चाहिये। साथ ही उन पर पेज संख्या, स्थान एवं सूची बद्ध किया जाना अनिवार्य है। यदि निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत तकनीकी निविदा प्रस्ताव में अंकित सूचनायें एवं संलग्नक तकनीकी निविदा में अंकित सूचनाएं एवं वांछित संलग्नकों से भिन्न पाई जाती है या नहीं पाई जाती है तो ऐसी निविदाएं नान रिस्पांसिव (Non Responsive)समझी जायेगी।
6. निविदा दाता समय से निविदा जमा करना सुनिश्चित करें।
7. निविदा अभिलेख में दी गई निविदा की समस्त नियम एवं शर्तें निविदा दाता को स्वीकर करनी होगी। नियम एंव शर्तों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा और सशर्त आफर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
8. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जनपद लखनऊ के पास अधिकार सुरक्षित है कि
(अ)सफल निविदा दाता द्वारा किसी स्तर पर गलत सूचना, गुमराह/अस्वीकृति या प्रस्ताव को पूर्ण या आंशिक रूप से अनुपालन न किये जाने की स्थिति में प्रस्ताव/अनुबंध या लेटर आफ इन्टेन्ट या एग्रीमेंट को निरस्त कर दें।
(ब)आवश्यक समझे जाने पर निविदा के सम्बन्ध में या दिये गये अभिलेखों का सत्यापन कर सकता है।
(स)बिना कारण बताये दर स्वीकृत होने से पूर्व/पश्चात किसी भी प्रस्ताव को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त कर सकता है।
(द)यदि यह पता चलता है कि निविदा दाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्ट फर्जी या अन्य गैर कानूनी कृत्यों में लिप्त है तो वह ऐसे निविदा दाता के प्रस्ताव को निरस्त कर सकता है एवं भविष्य के लिये निविदा दाता को काली सूची में डालने की कार्यवाही कर सकता है।

3–निविदा प्रपत्र का मूल्य

निविदा प्रपत्र के विक्रय की अंतिम तिथि तक संबंधित निविदा प्रपत्र(नियम/शर्तें एवं विकास खण्ड की सूची सहित)मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जनपद लखनऊ के कार्यालय से उक्त समयावधि के अंतर्गत किसी भी कार्यदिवस में प्रति निविदा प्रपत्र रू0 500.00(रू0 पांच सौ मात्र) का नगद भुगतान कर प्राप्त किये जा सकत हैं।

डाउन लोड निविदा प्रपत्र की स्थिति में प्रति निविदा प्रपत्र रू0 500.00(रू0 पांच सौ मात्र) का राष्ट्रीय बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जनपद लखनऊ के पक्ष में एवं जनपद लखनऊ पर देय हो, निविदा प्रपत्र के तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा जो वापस नहीं किया जायेगा। जिसके आभाव में निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

4–जमानत की धनराशि

सफल निविदा दाता को जमानत के रूप में कान्ट्रैक्ट मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करनी होगी, जिसमें पूर्व में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा अर्नेस्ट मनी की धनराशि समायोजित कर ली जायेगी। जमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदा दाता को दर स्वीकृत की सूचना दिये जाने के 15 दिनों के भीतर एक अनुबन्ध मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जनपद लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूप पर करना होगा तथा साथ में जमानत की धनराशि जमा करना अनिवार्य है। जमानत की धनराशि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जनपद लखनऊ के पक्ष में बंधक होगी। एफ0डी0आर0 की वैधता अनुबन्ध अवधि के तीन माह बाद तक होगी। अनुबन्ध अवधि के विस्तार की दशा में इसकी वैधता में विस्तार करना आवश्यक होगा। विफल की स्थिति में स्वीकृत पत्र निरस्त समझा जायगा और जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जनपद लखनऊ के पास अधिकार होगा कि वह संस्था/कम्पनी के विरूद्ध वर्तमान कान्ट्रैक्ट के सापेक्ष अनुबन्धित एजेंसी/कम्पनी के ऊपर देय धनराशि को काट कर जमानत की धनराशि का भुगतान करेगा। यदि निविदा दाता द्वारा जमानत की धनराशि एफ0डी0आर0 के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में जमा की जाती है तो निविदा दाता अयोग्य (Disqualified)घोषित कर दिया जायेगा एवं निविदा नान रिस्पांसिव (Non Responsive) मानते हुये अस्वीकार कर दी जायेगी।

5–अर्नेस्ट मनी डिपाजिट(ई0एम0डी0)

अर्नेस्ट मनी की रूप में रू0 25000.00(रू0 पच्चीस हजार मात्र) का किसी राष्ट्रीय कृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जनपद लखनऊ में देय हो के रूप में तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

6–पात्रता की शर्तें

(अ)तकनीकी बिड (भाग–1)

निविदा दाता को निम्नलिखित औपचारिकतायें पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

1. फर्म/संस्था को नियमानुसार पंजीकृत होना अनिवार्य है।(पंजीकरण का साक्ष्य यथा इन्कारपोरेशन प्रमाण पत्र, संस्था की नियमावली आदि की प्रति संलग्न करें)
2. फर्म/संस्था को राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में मानव संसाधन हेतु नियोजक एजेंसी/मैन पावर आउट सोर्सिंग एजेंसी के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव का प्रमाण पत्र देना होगा।
3. विगत तीन वर्षो में जनपद/विकास खण्ड स्तर पर प्रत्येक वर्ष में प्रगामी मूल्य 50 मैन पावर के नियोजन एवं विविध प्रकार के मैन पावर उपलब्ध कराये जाने का एजेंसी को अनुभव होना अनिवार्य है(साक्ष्य संलग्न करें)

4. फर्म/संस्था का विगत तीन वित्तीय वर्षो(वित्तीय वर्ष 2015–16, वित्तीय वर्ष 2016–17एवं वित्तीय वर्ष 2017–18)संदर्भित वर्षो के आडिटेड फाइनेन्शियल स्टेटमेंट की प्रति संलग्न करें) में न्यूनतम कुल टर्न ओवर रू0 50.00लाख प्रति वर्ष का होना अनिवार्य है। सी0ए0 द्वारा टर्न ओवर की सत्यापित प्रति संलग्न की जाय।
5. निविदा दाता को प्राविडेन्ट फंड एक्ट, ई0एस0आई0एक्ट, लेबर एक्ट, शॉप एंड स्टेबलिशमेंट एक्ट (संबंधित छाया प्रति संलग्न करें)के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
6. निविदा दाता को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विगत तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 50 मैन पावर उपलब्ध कराने विषयक कम से कम एक अथवा एक से अधिक आदेशों के सफलतापूर्वक अनुबन्ध निष्पादित करने विषयक प्रमाण संलग्न करना होगा।
7. फर्म को पी0एफ0/ई0एस0आई0 में पंजीकृत होना अनिवार्य है एवं इसके अन्तर्गत विगत तीन वर्षो में न्यूनतम 50 कार्मिकों का फर्म द्वारा संदर्भित जमा कराया जाना अनिवार्य है। उपरोक्त की पुष्टि हेतु साक्ष्य के रूप में प्रमाण पत्र एवं भुगतान की गई रसीद की प्रति संलग्न की जाय।
8. फर्म को आयकर एवं संबंधित सेवा के लिये सेवाकर विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है(पैन कार्ड एवं सर्विस टैक्स पंजीकरण की प्रति संलग्न करें)
9. फर्म/संस्था द्वारा इस आशय का शपथ/घोषणा पत्र रू0 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर देना अनिवार्य होगा कि यदि फर्म द्वारा अनुबन्ध अवधि के भीतर उत्तर प्रदेश या इसके बाहर इस प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिये वित्तीय बिड में उसके द्वारा निविदित दर से कम दर पर किसी अन्य संस्था के साथ अनुबन्ध करता है तो तत्काल इसकी सूचना पशुपालन विभाग को देगा एवं उपरोक्त कम दर के अनुरूप ही वित्तीय बिड में निविदित एवं अनुमोदित दर में स्वतः पशुपालन विभाग द्वारा देय धनराशि में कटौती कर ली जाय। इस पर फर्म/संस्था को कोई आपत्ति नहीं होगी।
10. फर्म/संस्था को राज्य अथवा देश में ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिये।

(ब)वित्तीय बिड (भाग–2)

1. निविदा दाता को मजदूरी एवं अन्य शुल्क यथा सी0टी0सी0के कर यदि उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के लागू नियम और अन्य सम्बन्धित नियम के अन्तर्गत लागू हो तो उसे वित्तीय बिड के प्रारूप में निविदित करना होगा।
2. अन्तिम कुल मूल्य/लागत के आधार पर न्यूनतम(एल–1) को अनुमोदन हेतु विचार किया जायेगा जो वर्तमान बाजार दर के अनुरूप होने चाहिये।
3. वित्तीय बिड की सशर्त बिड मान्य नहीं होगी एवं अतिरिक्त शर्तों की दशा में बिड को निरस्त कर दिया जायेगा। निर्धारित प्रपत्र में केवल दरों का ही उल्लेख किया जायेगा।

7. आउट सोर्सिंग एजेन्सी से मैनपावर की आपूर्ति हेतु कार्यक्षेत्र, नियम एवं शर्तें

आउट सोर्सिंग फर्म/संस्था को निम्नलिखित नियमों/शर्तों का पालन करना होगा।

1. फर्म/संस्था द्वारा नियोजित समस्त वाहन चालकों का पूर्ण बायोडाटा तथा पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्रमाणित छाया प्रति एवं अद्यतन प्रमाणित फोटो ग्राफ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जनपद लखनऊ को उपलब्ध करानी होगी।
2. मौखिक/लिखित/ई–मेल द्वारा यदि किसी वाहन चालक के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत यथा क–कार्यशैली अथवा सत्य निष्ठा, ख–सात दिनों से अधिक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना, ग–कार्यालय द्वारा मौखिक/लिखित दिये गये आदेशों की अवहेलना, घ–कार्य करने से मना करना, च–बिना किसी कारण के स्थान परिवर्तन करने के लिये अनुरोध करने की दशा में उक्त नियोजित वाहन चालक को तत्काल बदलना होगा।
3. वाहन चालक हेतु किसी प्रकार के लाइसेंस, परमिट, सहमति एवं स्वीकृति आदि की आवश्यकता अथवा मांग स्थानीय/अन्य अथारिटी के द्वारा किये जाने पर एजेंसी द्वारा स्वयं व्यवस्था की जायेगी। इसके लिये पशुपालन विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
4. पशुपालन विभाग को उपलब्ध कराये गये वाहन चालकों को अनुमोदित न्यूनतम मजदूरी एवं अन्य अनुमोदित शुल्क का भुगतान प्रत्येक दशा में करना होगा। यदि किसी वाहन चालक द्वारा भुगतान के सम्बन्ध में की गई शिकायत की पुष्टि होती है कि उसे नियमतः पूर्ण भुगतान नहीं हो रहा है तो ऐसी दशा में एजेंसी/फर्म के साथ किया गया दर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
5. सेवा प्रदाता फर्म/संस्था को वाहन चालकों की सेवाओं के सापेक्ष पशुपालन विभाग द्वारा वैधानिक दायित्वों यथा पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं सेवाकर आदि के अन्तर्गत भुगतान की गई धनराशि के संबंधित सरकारी खाते में नियमानुसार जमा करना अनिवार्य होगा तथा जमा की गई धनराशि के रसीद की स्वप्रमाणित प्रति एवं तत्सापेक्ष समय समय पर दाखिल रिर्टन की स्वप्रमाणित प्रति भी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी लखनऊ को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
6. यदि वाहन चालक कार्य अवधि में किसी लागू कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करता है अथवा किसी व्यक्ति के चोटिल होने पर या किसी प्रकार के प्रदर्शन कर रही भीड़ से चालक के चोटिल होने पर न्यायालय में वाद विधिक तथा मेडिकल एवं वित्तीय सहायता आदि उपलब्ध कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सेवा प्रदाता फर्म/संस्था का होगा। इसके लिये पशुपालन विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा। फर्म से सम्बन्धित वाहन चालक के उक्त कृत्य के संबंध में फर्म द्वारा तदविषयक यदि कोई कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है एवं किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के निष्पादन एवं अन्य रक्षात्मक कार्यवाही/जुर्माना के समक्ष विभाग द्वारा यदि कोई धनराशि व्यय की जाती है तो उक्त धनराशि का फर्म को भुगतान की जाने वाली धनराशि अथवा जमानत की धनराशि से प्रतिपूर्ति की जायेगी।
7. किसी दुर्घटना में घायल/मृत्यु होने की दशा में वर्क मैन कम्पनशेसन एक्ट–VIII 1923 एवं समय समय पर लागू संशोधनों के अन्तर्गत यदि किसी कम्पनशेसन आदि पर व्यय की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सेवा प्रदाता फर्म/एजेंसी का होगा। पशुपालन विभाग इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी लखनऊ को यह अधिकार होगा कि उक्त कम्पन्शेसन अथवा उससे सम्बन्धित मुकदमें के खर्च के

भुगतान की यदि विभाग पर किसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो विभाग द्वारा उक्त भुगतान का समायोजन एजेंसी को भुगतान की जाने वाली धनराशि से कर दिया जायेगा। उक्त भुगतान हेतु अधिक धनराशि की आवश्यकता होने पर एजेंसी से अतिरिक्त धनराशि की वसूली की जायेगी। इस धारा के अन्तर्गत होने वाले किसी विवाद के निस्तारण हेतु मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जनपद लखनऊ का निर्णय अन्तिम होगा।

8. सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा नियुक्त किये गये वाहन चालक के विरूद्ध कोई प्रतिकूल पुलिस रिकार्ड एवं आपराधिक मामला दर्ज न हो। सेवा प्रदाता एजेंसी को नियोजित होने वाले वाहन चालक के संबंध में एक शपथ पत्र देना होगा कि कार्य अवधि में किसी प्रकार का मद्यपान नहीं करेगा।
9. सेवा प्रदाता एजेंसी को अनुबन्ध पत्र में स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि संदर्भित कार्य के लिये उपलब्ध कराये गये वाहन चालक किसी भी दशा में पशुपालन विभाग में कार्यरत दैनिक, अस्थाई नियमित/स्थाई कार्मिकों की भांति उक्त कार्य के समक्ष सेवा योजन वेतन भत्ते एंव अनुमन्य सुविधाओं की मांग अनुबन्ध अवधि अथवा अनुबन्ध समाप्त होने के पश्चात नहीं करेगा। इस हेतु चालक की स्वघोषणा रू0 100.00 के नान ज्यूडीशियल के स्टैम्प पेपर पर उपलब्ध कराने का दायित्व सेवा प्रदाता एजेंसी का होगा।
10. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जनपद लखनऊ को प्रश्नगत अनुबन्ध को समाप्त करने अथवा विस्तार करने का अधिकार होगा। साथ ही (अ)अनुबन्ध निष्पादित होने की तिथि से उक्त वित्तीय वर्ष अर्थात 31 मार्च तक वैध होगा (ब)अनुबन्ध उक्त नियमों एवं शर्तों पर ही विशेष परिस्थितियों में अधिकतम तीन माह तक विस्तारित किया जा सकेगा।
11. अनुबन्ध अवधि के मध्य किसी भी स्थिति में अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन करने पर फर्म/एजेंसी के जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
12. कार्य अवधि में वाहन चालक की लापरवाही/अन्य किसी शिथिलता के कारण वाहन के चोरी होने की दशा में वाहन के मूल्य के बराबर धनराशि सेवा प्रदाता एजेंसी से वसूली जायेगी।

8–कटौती

सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा आवश्कता के अनुरूप वाहन चालकों की व्यवस्था करने में विफल/अयोग्य हो जाने की दशा में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जनपद लखनऊ को अर्नेस्ट मनी/जमानत की धनराशि की कटौती उसी लागत के अनुरूप किये जाने का अधिकार होगा।

9–आरवीट्रेशन

यदि अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप कार्यवाही किये जाने के सापेक्ष किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो प्रकरण सम्बन्धित जनपद के मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग,लखनऊ मण्डल, लखनऊ को संदर्भित किया जायेगा जिसका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

10—न्यायिक क्षेत्र

न्यायिक विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सक्षम न्यायालय जनपद लखनऊ होगा।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
जनपद लखनऊ

TECHNICAL BID(PART-I)

(For Manpower Outsourcing Services)

S. No.	Parameter	To be filled by the Bidder	Remark
01	Name of the Agency/Bidder with address, telephone, fax no. name of the Principal Officer		
02	The Agency/Bidder/Firm shall registered since last 3 years. under:- -PF Act, -ESI Act, -Labor Act, -Shop & Establishment Act, & have minimum 50(Fifty) employees on its roll during last three years. Documentary proofs like Certification and payment proofs for above should be enclosed.		
03	Firm shall provide income tax permanent Number/Latest Income Tax Clearance Certificate of the agency may be provided. (Copy to be enclosed) and also submit the service tax details (Copies to be enclosed)		
04	Cost of the Tender Document (Bank Draft/Cash Receipt of Rs 500/-)		
05	Details of Earnest Money Deposit Demand Draft number with Bank details for an amount of Rs 25,000.00 (Rs Twenty Five Thousand Only)		
06	Agency/Organization must be registered with the Competent Authorities (Copies of Registration & By-Laws etc. to be enclosed)		
07	Agency/Organization should have experience of minimum 3 years of working with State/Central government/PSU,s as Manpower recruitment agency/ Manpower outsourcing agency.		

08	Agency must have experience in deploying and handling multi-disciplinary manpower at District/Block level with cumulative minimum of 50 manpower each year in last three years.		
S. No.	**Parameter**	**To be filled by the Bidder**	**Remark**
09	Agency/organization must have minimum total Yearly turnover of Rs 50.00 lakh in the last three Financial Years (FY 2014-15 FY 2015-16 and FY 2016-17)each. (Attach copy of audited Financial Statements of the relevant years). Attached CA certified copy of turnover.		
10	The bidders must have executed at least one single or more than one order/contract consisting of 50(Fifty) Manpower in any State Govt./Central Govt./PSUs since last three financial years. Satisfactory Completion certificate must be attached.		
11	Declaration on Rs 100/- Non Judicial Stamp Paper As per Clause No. 9 of Technical Eligibility (Part-I)		

Declaration

I have read and understood the terms and conditions of the tender documents and I am agreement with them and also declare to adhere with them. Information furnished in the Tender duly submitted by me are true to the best of my knowledge and I am solely responsible for the said information. If at any stage, before or after the contract to be done on the basis of above information, said information are found misleading or wrong, I may be prosecuted under the rules prevalent along with termination of above contract forthwith.

Date:- **Signature of the Agency/Bidder**
with

Seal---------------------
Address
Telephone, fax no.

FINANCIAL BID(PART-II)

(For Manpower Outsourcing Services)

S. No.	Particulars	To be filled by the Bidder	
01	Name of the bidders/agency with address		
02	Details of Wages Structure & CTC (Cost to company) The bidders will claim as administrative charges etc	**Particulars**	**Per Driver monthly wage rate (in Rs)**
		Wages	
		E.P.F.	
		E.S.I.	
		G.S.T.	
		Service Charge	
		Total	

Declaration

It is certified that rate quoted in the financial Bid is in conformity with prevailing market rate and is the lowest as I have ever quoted any where eles. If at any stage/point of time during thr currency of the contract made on basis of the above quoted rate I charge lover rate for similer services than above quoted rate to any other institution/firm/person the same will be inform to the department of animal husbandry u.p. immediately by me and there by the same lower rate will be charged from date of charging the above mentioned lower rate.

Date:- **Signature of the Agency/Bidder**

with

Seal----------------------

Address

Telephone, fax no.